

निर्णय ब इजलास प्रकाश राज पुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 695/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा कार्यालय के-14, 7<sup>th</sup> फ्लोर,  
इन्टरनेशनल बिजनेस सेन्टर, अशोक मार्ग, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. लक्ष्मी नारायण शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा  
पता :- पट्टा नम्बर 42, मिसल नम्बर 58, ग्राम पंचायत आंधी, जमवारामगढ, जयपुर।  
एवं ग्राम तन आंधी, ग्राम पंचायत जमवारामगढ, जयपुर।  
एवं मेडीकल ऐजेन्सीज, बस स्टेण्ड आंधी, जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. पुष्पा देवी शर्मा  
पता :- पट्टा नम्बर 42, मिसल नम्बर 58, ग्राम पंचायत आंधी, जमवारामगढ, जयपुर।  
एवं ग्राम तन आंधी, ग्राम पंचायत जमवारामगढ, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act.2002

उपरिथत :-

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 05.12.2022.

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जनानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी लक्ष्मी नारायण शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 42, मिसल संख्या 58, ग्राम आंधी, ग्राम पंचायत आंधी, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर क्षेत्रफल 138.5 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 30,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.01.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

प्र  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 21 जनवरी 2011 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल रूपये 30,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 32,31,078.01/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.01.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी लक्ष्मी नारायण शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 42, मिसल संख्या 58, ग्राम आंधी, ग्राम पंचायत आंधी, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर क्षेत्रफल 136.5 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर

खासिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राज पुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर